न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सुपौल

आपराधिक विविध वाद सं0 12/26

अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 173/2025
त्रिवेणीगंज थाना कांड सं0– 302/2023

दिनांकः 26.03.2026

प्रस्तुत वाद प्रार्थी आवेदक छोटे लाल दास, रविन्द्र दास, मंजू देवी उर्फ रंजू देवी, रामसुन्दर दास की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन सं0 173/25 में दिनांक 08/04/2025 को पारित आदेश के अनुक्रम में न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के समयावधि विस्तार करने हेतु दाखिल किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त अग्रिम जमानत आवेदन 173/25 में दिनांकं 08/04/25 को पारित आदेशानुसार प्रार्थी अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया गया था परंतु प्रार्थी अभियुक्तगण मजदूरी करने हेतु पंजाब चले गये थे जिस कारण उक्त पारित आदेशानुसार समयसीमा के अंदर निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं कर सके, प्रार्थी अभियुक्तगण गरीब एवं मजदूर किस्म का आदमी है तथा उसने जानबुझकर गलती नहीं किया है। अतः समय अवधी विस्तार करने की कृपा किया जाए।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत आवेदन सं0 173/25 द्वारा अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की गयी थी परंतु प्रार्थी अभियुक्तगण समयसीमा के अंदर निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर सके है।

अंतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से दाखिल आपराधिक विविध वाद इस निर्देश के साथ **स्वीकृत** किया जाता है कि आदेश पारित होने की तिथि से 20 दिनों के अंदर पुलिस द्वारा गिरफ्तार होने पर या विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर निम्न न्यायालय के संतुष्टिकारक मो0 10,000/- के दो–दो प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के प्रावधानों के अधीन अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी को प्रदत्त अग्रिम जमानत की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की प्रति शीघ्र विद्वान निम्न न्यायालय में भेजें।

लेखापित
ह0/–
(दिलीप कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह–विशेष न्यायाधीश, सुपौल